Helen R. Caulton-Harris, Commissioner

Springfield DHHS
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

311 State Street
Springfield, MA 01105
Phone: 413.787.6740
Fax: 413.787.6458
www.springfield-ma.gov

14 जुलाई, 2025

विषय: स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में कृत्रिम कैनाबिनॉइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अध्यादेश की सूचना

प्रिय व्यवसायी,

यह पत्र हम आपको यह सूचित करने के लिए लिख रहे हैं कि स्प्रिंगफील्ड सिटी काउंसिल ने 23 जून, 2025 (सोमवार) को एक नया नगर-व्यापी अध्यादेश (चैप्टर 275, आर्टिकल IV) पारित किया है, और इस अध्यादेश के तहत स्प्रिंगफील्ड शहर में कृत्रिम कैनाबिनॉइड उत्पादों की बिक्री, उनके वितरण तथा वितरण के उद्देश्य से अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

कृत्रिम कैनाबिनॉइड उत्पाद, जिन्हें आमतौर पर "डेल्टा-8", "डेल्टा-10", "K2", "स्पाइस" या "हर्बल इनसेंस" जैसे नामों से बेचा जाता है, प्रयोगशाला में तैयार किए गए ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं और इनका उद्देश्य भांग (कैनाबिस) के प्रभावों की नकल करना है। ये उत्पाद गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं, जिनमें दौरे पड़ना, आक्रामक व्यवहार, मानसिक असंतुलन (साइकोसिस) और कुछ मामलों में मृत्यु तक की आशंका शामिल है।

अध्यादेश के मुख्य प्रावधान:

- **दायरा:** स्प्रिंगफील्ड नगर क्षेत्र में सभी प्रकार के कृत्रिम कैनाबिनॉइड उत्पादों की बिक्री, वितरण और वितरण के उद्देश्य से अपने पास रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **परिभाषा:** कृत्रिम कैनाबिनॉइड्स को ऐसे रासायनिक रूप से निर्मित पदार्थों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन्हें टीएचसी के प्रभावों की नकल करने के लिए बनाया जाता है, जबकि ये भांग या हेम्प पौधों से प्राकृतिक रूप से नहीं निकाले जाते।
- **अध्यादेश अंतर्गत उत्पाद:** यह अध्यादेश सभी प्रकार के कृत्रिम कैनाबिनॉइड उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी ब्रांड, लेबल या उपयोग की विधि (जैसे- धूम्रपान, निगलना या त्वचा पर लगाना) के अंतर्गत आते हों।
- **प्रभावी तारीख:** यह अध्यादेश 23 जून, 2025 (सोमवार) से लागू हो चुका है।
- **दंड:** इस अध्यादेश का उल्लंघन करने पर प्रति अपराध 300 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक अलग-अलग पैक किए गए उत्पाद को अलग अपराध माना जाएगा।
- **प्रवर्तन:** इस अध्यादेश का पालन सुनिश्चित करने और प्रवर्तन करने का कार्य स्प्रिंगफील्ड स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा स्प्रिंगफील्ड पुलिस विभाग के सहयोग से किया जाएगा। प्रतिबंधित उत्पादों को जब्त किया जाएगा।

अगले पेज पर जारी

Springfield DHHS
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

311 State Street
Springfield, MA 01105
Phone: 413.787.6740
Fax: 413.787.6458
www.springfield-ma.gov

खुदरा विक्रेताओं के लिए आगे की कार्रवाई:

- अपने वर्तमान स्टॉक की समीक्षा करें और अध्यादेश के अनुसार कृत्रिम कैनाबिनॉइड उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करें।
- यदि आपके पास कोई प्रश्न हो या आपको सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया हमारे कार्यालय से (413) 787-6756 पर संपर्क करें अथवा Xavier Williams को xwilliams@springfieldcityhall.com पर ईमेल करें। नई जानकारी और अतिरिक्त संसाधन springfield-ma.gov/hhs/synthetic-cannabinoid-products पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह दस्तावेज़ स्प्रिंगफील्ड में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं में अनुवादित रूप में springfield-ma.gov/hhs/synthetic-cannabinoid-products पर उपलब्ध है।

हमारे समुदाय में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आपके निरंतर सहयोग और प्रतिबद्धता के प्रति हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

सादर,

Helen R. Caulton-Harris

आयुक्त, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग

Xavier R. Williams

समन्वयक, कैनाबिस नियंत्रण कार्यक्रम